बाटा चौक के ग़रीब अपनी रोज़ी-रोटी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं

सत्यवीर सिंह

फरीदाबाद। बाटा चौक से एनआईटी रेलवे स्टेशन तक पुल के नीचे व दाएं-बाएं बैठे सभी 500 रेहड़ी एवं दुकानदारों ने संगठित होकर, यहां से 10 जनवरी को बाटा चौक से नगर निगम कार्यालय में निगमायुक्त के दफ्तर तक, एक शानदार मोर्चा निकालाँ जिसमें 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा, फ़रीदाबाद की ओर से कामरेड्स नरेश और सत्यवीर सिंह भी शामिल हुए. निगमायुक्त के दफ्तर के ठीक सामने, ज़ोरदार आक्रोषपूर्ण नारों के बीच, एक सभा हुई. बड़ी संख्या में वैकल्पिक मीडिया के अनेक चैनलों जैसे मज़दूर समाचार, मज़दूर मोर्चा आदि ने इसे कवर किया. सभा में दीनदयाल गौतम ने अपने वक्तव्य में ये स्पष्ट किया कि वे सभी सरकारी नियमों का पालन करेंगे. वेंडर ज़ोन बनने के बाद, निर्धारित शुल्क देंगे, साफ़-सफ़ाई रखेंगे, सड़क पर कोई अवरोध भी नहीं होने देंगे, लेकिन नगर निगम को उनकी रोज़ी-रोटी के साधन, उनकी दुकानों को उजाड़ने नहीं देंगे. तोड़-फोड़ की किसी भी कार्यवाही का विरोध, संगठित होकर, पूरी ताक़त के साथ, बहुत तीखा किया जाएगा. ये उनके जीवन-मरण का सवाल है, इसलिए अगर

इस टकरावपूर्ण संघर्ष में कोई जनहानि होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी फरीदाबाद नगर निगम की होगी. नगर निगम किसी मुगालते में ना रहें, हम पिछले 40 सालों से मेहनत कर अपने बच्चों को किसी तरह पाल रहे हैं, हालाँकि उन्हें शिक्षा देने लायक़ फिर भी नहीं कमा पा रहे. हम वहां से हटने वाले नहीं हैं.

परिस्थिति की नज़ाक़त भांपकर, नगर निगम के रेहड़ी-पटरी विभाग से संबंधित अधिकारी मथुरा प्रसाद ने सभा में उपस्थित होने में कोई देर नहीं की. सभा में, मीडिया के सामने उन्होंने आश्वासन दिया, कि एक-दो दिन में वे स्वयं बाटा चौक का सर्वे करेंगे, जिससे 2014 की वेंडर पॉलिसी के तहत वहां 'वेंडर ज़ोन' बनाया जा सके. 'अब वहां तोड़-फोड़ की कार्यवाही नहीं होगी', इस आश्वासन के बाद ही सभा संपन्न हुई।

पिछले कुछ सालों में, सत्ता दमन-उत्पीड़न का औज़ार बन गया है; 'बुलडोज़र'. "ये दैत्याकार मशीन, देश भर में, मज़दूरों की झोपड़ियों और उनकी रोज़ी-रोटी के साधन, उनकी टपरियों, गुमटियों, खोखों, पटरियों को रोंद रही है, मज़दूर लड़ रहे हैं, पुलिस लट्ठ बरसा रही है, बच्चे बिलख रहे हैं, अपनी किताबें-कॉपियां समेट रहे हैं, या मलबे में ढूंढ रहे हैं", ये दर्दनाक दृश्य आम हो गए हैं. कोई दिन नहीं जाता, जब ये नज़ारा नज़र ना पड़े. कैसा भी उत्पादन, मज़दूरों के हाथों के बगैर नहीं होता. इंग्लैण्ड की कंपनी, जेसीबी, फ़रीदाबाद में ही है. जिस बुलडोज़र को आज के मदांध सत्ताधीश, ग़रीबों की बस्तियों को उजाड़ने, उनकी रोज़ी-रोटी छीनने, और उससे भी आगे, शोषित- पीड़ित मेहनतकशों के दिल में सत्ता की दहशत क़ायम करने में, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे बनाने का गौरव भी फ़रीदाबाद के मज़दूर हाथों को ही हासिल है.

तोड़-फोड़ के इस 'राष्ट्रीय कार्यक्रम' की चपेट में अब, बाटा चौक और एनआईटी रेलवे स्टेशन के बीच वाली उस सड़क के किनारे जहाँ आवागमन नहीं होता, रेहड़ी-पटरी लगाकर बा-मुश्किल अपनी गुज़र-बसर करने वाले मज़दूर-व्यापारी भी आ गए हैं. ये लगभग 500 सबसे छोटे, अत्यंत निर्धन मज़दूर-दुकानदार, पिछले 40 वर्षों से कपड़े, पुराने जूते, बैग, फल-फ्रूट, चाय-समोसे आदि बेचकर, दिन-भर में 400-500 रु. कमा लेते हैं जिससे इनके घरों में चूल्हा जलता है. निर्धन तो हैं ही, ये मज़दूर-दुकानदार अल्पसंख्यक और दलित-वंचित-उत्पीड़ित समाज से भी हैं.

'शहरी रेहड़ी-पटरी वालों की राष्ट्रीय नीति 2009' के अनुसार, "रेहड़ी-पटरी वाले शहरी आबादी का 2 प्रतिशत हैं. ये वे लोग हैं जिन्हें नियमित रोज़गार नहीं मिल पाया. इन्हें सरकारी मदद मिलनी चाहिए." 'सोदान सिंह व अन्य बनाम एनडीएमसी (1989)' मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है- "अगर ठीक से नियमित किया जाए, तो कठिन परिस्थितियों में, सड़कों के किनारे फुटपाथ पर सामान बेच रहे ये छोटे-छोटे दुकानदार, बहुत कम क़ीमत पर, घर की ज़रूरी वस्तुएं उपलब्ध करा कर, लोगों की सुविधाओं और उनके आनंद में बहुत वृद्धि कर सकते हैं. एक आम आदमी, जिसकी आय बहुत कम है, जब दफ़्तर से घर जा रहा होता है, तब वह दूर बाज़ार में जाए बगैर, अपनी ज़रूरतों की चीजें वहीं सड़क किनारे ख़रीद सकता है. संविधान की धारा, 19(1) जी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रेहड़ी-पटरी पर नियमित रूप में अपना व्यवसाय कर रहा है, तो उसके अधिकार को इस बहाने नहीं छीना जा सकता कि सड़क किनारे रेहड़ियां, वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए असुविधा कर रही हैं."

4 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने, 'रेहड़ी-पटरी दुकानदार (जीवन यापन तथा रेहड़ी-पटरी व्यापार का संरक्षण) क़ानून 2014', पास किया था, जो रेहड़ी-पटरी व्यापार को ना सिर्फ मान्यता देता है, बल्कि इन छोटे दुकानदारों के व्यापार को वैधानिक आधार भी प्रदान करता है. उसी एक्ट के बाद, 'रेहड़ी-पटरी ज़ोन' बनाने का अभियान चला और बैंकों ने रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को छोटे-छोटे ऋण देने शुरू किए. बाटा चौक के इन ग़रीब दुकानदारों ने भी दस-दस हज़ार के ऋण लिए और उनका भुगतान भी नियमित रूप से कर रहे हैं. बाटा चौक के रेहड़ी-पटरी वाले मज़दूर दुकानदारों ने सबसे पहले अपने संघर्ष के औज़ार अपना संगठन, 'रेहड़ी पटरी विकास संघ' का गठन किया और 17 दिसंबर 2021 को, उपायुक्त फ़रीदाबाद को ज्ञापन देकर, 2014 की स्ट्रीट वेंडर पालिसी के तहत, अपने क्षेत्र को 'वेंडर जोन' बनाने की प्रार्थना की. लेकिन भाजपा की मौजूदा सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह पलटने का अभियान बहुत आक्रमक रूप से चलाया हुआ है.

कुछ दिन से, इस क्षेत्र में अपनी गुजर-बसर कर रहे लोगों के खोखे, टपरियां एक योजना के तहत तोड़ी जा रही हैं. क्षेत्र के ग़रीब लेकिन जागरुक और संघर्षशील दुकानदार नगर निगम फरीदाबाद की मंशा समझ गए. उन्होंने अपने संगठन के प्रधान, दीन दयाल गौतम के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया. साथ ही फरीदाबाद में मज़दूर वर्ग से प्रतिबद्धता रखने वाले संगठनों से अपील की कि वे उनके आन्दोलन में शरीक हों.

ग़रीबों के 'ग़ैरकानूनी अतिक्रमण' से सरकारी संपत्ति को मुक्त कराने के दमनकारी अभियान में, रेलवे की ज़मीन ख़ाली कराना, सरकार के एजेंडे में पहले नंबर पर है. रेलवे लाइन के किनारे, ख़ाली पड़ी जमीन पर मज़दूर, दशकों से रहते आए हैं क्योंकि वे किसी भी शहर में, किसी भी जगह, एक बाथरूम बनाने लायक़ ज़मीन का टुकड़ा भी क़ानूनी रूप से ख़रीदने लायक नहीं है। 70 सालों में जो नहीं हुआ, वो अब हो रहा है. इससे आम जन-मानस में ये चर्चा विश्वसनीय लग रही है कि भाजपा सरकार इसलिए रेलवे की ज़मीन को ख़ाली कराना चाहती है जिससे रेलवे का निजीकरण होने के बाद, सरकार के लाड़ले धन्ना सेठों को कोई असुविधा ना हो.

बाटा चौक के ये मज़दूर-दुकानदार लड़ाकू हैं और संगठित हैं. इसलिए, उनके उजड़ने का खतरा फ़िलहाल टल गया, लेकिन अगर वे, ये सोचकर बे-ख़बर हो जाएँगे कि हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी. मौजूदा फ़ासिस्ट हुकूमत, जन-आक्रोश के हिंसक हो जाने के डर से पीछे हटती तो है, लेकिन रणनीतिक तौर पर ही. वह अपने 'असल प्रोजेक्ट' को छोड़ती कभी नहीं. ग़नीमत है, बाटा चौक के साहसी दुकानदारों की तहरीक का नेतृत्व ये बात समझता है. अपनी रोज़ी-रोटी बचाने के संघर्ष के इस दौर की क़ामयाबी के लिए उन्हें बधाई, इस शर्त पर ही दी जा सकती है कि वे भविष्य में भी इसी तरह जागरुक रहेंगे, और तोड़-फोड़ की विध्वंसात्मक सरकारी परियोजना को रोकने में वे फ़रीदाबाद और देश के मेहनतकशों के सामने एक मिसाल क़ायम करेंगे.

थम नहीं रही आईजी हेमंत कलसन की गुंडागर्दी

पंचकुला (म.मो.) हरियाणा पुलिस में आईजी के पद पर तैनात हेमंत कलसन बीते कई वर्षों से छुट्टे सांड जैसा बर्ताव, नागरिकों, विशेषकर महिलाओं से करते आ रहे हैं। बीते बुधवार शाम छः बजे कलसन, भारती नामक एक महिला के, पिंजौर स्थित घर में जा घुसे। वे उसे जबरन अपने घर खाना बनाने के लिये ले जाना चाहते थे। महिला के इनकार करने पर कलसन ने उसे मारपीट कर लहू-लुहान कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर कलसन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल खाना बनाने का तो मात्र एक बहाना ही था, मामला तो कुछ दूसरा ही है।

यह महिला पहले कभी इनके घर पर काम कर चुकी है। इनकी बदतमीजियों से तंग आकर उसने काम छोड़ दिया था। उस वक्त भी कलसन उनके घर पर जाकर इसी तरह का ड्रामा करने पहुंचे थे। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।

बुधवार वाली उक्त घटना से पूर्व 8 मई 2022 को सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल के नशा मुक्ति वार्ड में अपनी पहचान की एक युवती के पास शराब की बोतल और गुटखा लेकर पहुंचे थे। वार्ड में मौजूद नर्स ने जब इसका विरोध किया तो कलसन ने उस नर्स से भी दुर्व्यवहार किया और गालियां दी। नर्स की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कलसन के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया था।

अजब-गजब कानून व्यवस्था है खट्टर के राज में, एक पुलिस अधिकारी काबू नहीं आ रहा है सरकार के। क्या खट्टर सरकार इतनी गई-बीती हो चुकी है जो एक पगलाये पुलिस अधिकारी को न तो पिंजरे में बंद रख सकती है और न ही उसे सेवा मुक्त कर सकती है?

कलसन दलित वर्ग से आते हैं। लिहाजा दलित समाज को भी इस मसले पर गौर करके कुछ न कुछ उचित कार्रवाई करनी चाहिये।

हरियाणा रोडवेज में ई-टिक्टिंग फेल

कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया

फ़रीदाबाद (म.मो.) मुख्यमंत्री खट्टर को बिना कुछ करे-धरे मीडिया में छाये रहने का बड़ा रोग है। इसलिये वे अपने मुखारबिंद से हर रोज कुछ न कुछ फूटते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने राज्य परिवहन की बसों में ई-टिक्टिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा कर डाली। इसे उन्होंने डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया। दरअसल विदेशों में घूमते-फिरते उन्होंने वहां की बसों में इस सिस्टम को देखा होगा।

बस फिर क्या था, उनकी नकल करते हुए खट्टर महाशय ने भी बिना कुछ सोचे समझे यहां भी उसी प्रणाली को लागू करने का फरमान जारी कर दिया। उन्होंने यह सोचने व समझने की कोई जरूरत नहीं समझी कि हरियाणा में इन्टरनेट एवं इसके सर्वरों की हालत क्या है? बस झट से हजारों की संख्या में ई-टिक्टिंग मशीन खरीद कर कंडक्टरों के हाथों में दे दी गई। इन्हें लेकर अब कंडक्टर परेशान हैं। पांच-दस टिकटें काटने के बाद मशीन बोल जाती हैं, कभी सर्वर डाउन है तो कभी कनेक्टिविटी नहीं है तो कभी मशीन खराब हो गई है।

अब पूछे कोई इन खट्टर साहब से कि बैठे-बिठाये इन्हें इस खुराफात की सूझी कैसे, जब सही सलामत ढंग से कंडक्टर टिकटें काटते आ रहे थे? लगता है कि आईडी बनाने का ठेका लेने वाली याशी कम्पनी की तरह किसी संघी भाई ने ई-टिक्टिंग मशीन का धंधा शुरू कर दिया होगा। इसकी हकीकत भी शीघ्र ही सामने आ जायेगी। फिलहाल इन मशीनों के फेल होने से परिवहन विभाग को भारी घाटा लग रहा है। उक्त मशीनें तो कुछ समय बाद कबाड़खाने में चली ही जायेंगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।